

क्र./शापोखै/शैक्षणिक/2021/1293

खैरागढ़, दिनांक 28/9/2021

:- आदेश :-

संचालनालय तकनीकी शिक्षा छ.ग. के पत्र क्र./तक.शि./बजट/2016/476 नया रायपुर दिनांक 31.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय शुल्क एवं अन्य अशासकीय शुल्क के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु प्रथम एवं तृतीय (लेटरल एंट्री) सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा निम्नानुसार शुल्क देय होगा :-

//तालिका-01//

स.क्र.	शुल्क का विवरण		प्रथम एवं तृतीय (लेटरल एंट्री) सेमेस्टर हेतु
1.	शासकीय शुल्क	शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)	5000.00
2.	अशासकीय शुल्क	Caution Money	1000.00
		Amalgamated Fund (Including All Fee)	1500.00
3.	विश्वविद्यालयीन शुल्क	University Fee	90.00
		University Sports Fee	80.00
<b>Total Fees</b>			<b>7670.00</b>

टीप :- नामांकन शुल्क रु. 100/- तथा अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से आए छात्र/छात्राओं के लिए माइग्रेशन शुल्क रु. 500/- का भुगतान ऑनलाईन नामांकन फार्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय को ऑनलाईन किया जावेगा।

//तालिका-02//

स.क्र.	प्रवर्ग	वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से	शिक्षण शुल्क
1.	अनारक्षित	---	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता पिता/अभिभावक की आय	रु. एक लाख तक।	शिक्षण शुल्क देय नहीं (प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से होती है।)
		रु. एक लाख से अधिक।	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता पिता/अभिभावक की आय	रु. दो लाख पचास हजार तक।	शिक्षण शुल्क देय नहीं (प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से होती है।)
		रु. दो लाख पचास हजार से अधिक	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
4.	सभी प्रवर्ग के छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क रु. 5000/- भुगतान से छूट होगी।	विश्वविद्यालयीन एव अशासकीय शुल्क देय होगी।	

- टीप :- (1) शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को अनिवार्यतः निर्धारित प्रपत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति की प्राप्ति उपरांत शिक्षण शुल्क राशि रु 5000/- छात्रों को देय होगा।  
(2) वर्ष 2021-22 के लिये शासन द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह लागू होगा।  
(3) नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन करने पर अभ्यर्थी से रु. 500/- की कटौती करने के पश्चात शेष राशि संस्था द्वारा वापस की जावेगी। प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व के बाद प्रवेश निरस्त हेतु प्राप्त आवेदन में अभ्यर्थी की फीस वापसी हेतु योग्य नहीं होगा।  
(4) प्रवेश की अंतिम तिथि का निर्धारण जैसा कि अभातशिप/न्यायालय/शासन के आदेश/अधिसूचना द्वारा किया जावे।

प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़  
खैरागढ़, दिनांक 28/9/2021

पृ.क्र./शापोखै/शैक्षणिक/2021/1294

प्रतिलिपि : निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़।
2. लेखा शाखा, शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ को सूचनाार्थ।
3. ग्रंथालय अनुभाग, शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़।
4. सूचना पटल पर चरपा हेतु।
5. मास्टर फाईल।

Received  
28-09-2021

प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़

1. Swati Tilam  
28/09/2021

O/C

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़  
जिला - राजनांदगांव ( छत्तीसगढ़ ) - 491 881  
दूरभाष : 07820-234010, ई-मेल : [gpkgh@yahoo.co.in](mailto:gpkgh@yahoo.co.in)

क्र./शापॉखै/शैक्षणिक/2021/1225

खैरागढ़, दिनांक 17/09/2021

-: आदेश :-

संचालनालय तकनीकी शिक्षा छ.ग. के पत्र क्रं./तक.शि./वजट/2016/476 नया रायपुर दिनांक 31.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय शुल्क एवं अन्य अशासकीय शुल्क के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा निम्नानुसार शुल्क देय होगा :-


//तालिका-01//

स.क्र.	शुल्क का विवरण		तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर हेतु
1.	शासकीय शुल्क	शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)	5000.00
2.	अशासकीय शुल्क	Amalgamated Fund (Including All Fee)	1500.00
3.	विश्वविद्यालयीन शुल्क	University Fee	90.00
		University Sports Fee	80.00
Total Fees			6670.00

//तालिका-02//

स.क्र.	प्रवर्ग	वार्षिक आय समस्त स्रोतों से	शिक्षण शुल्क
1.	अनारक्षित	---	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता पिता/अभिभावक की आय	रु. एक लाख तक।	शिक्षण शुल्क देय नहीं (प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से होती है।)
		रु. एक लाख से अधिक।	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता पिता/अभिभावक की आय	रु. दो लाख पचास हजार तक।	शिक्षण शुल्क देय नहीं (प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से होती है।)
		रु. दो लाख पचास हजार से अधिक	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
4.	सभी प्रवर्ग के छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क रु. 5000/- भुगतान से छूट होगी। विश्वविद्यालयीन एवं अशासकीय शुल्क देय होगी।		

टीप :- 1. शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को अनिवार्यतः निर्धारित प्रपत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति की प्राप्ति उपरांत शिक्षण शुल्क राशि रु. 5000/- छात्रों को देय होगा।  
2. वर्ष 2021-22 के लिये शासन द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह लागू होगा।


  
प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़

खैरागढ़, दिनांक 17/09/2021

पृ.क्र./शापॉखै/शैक्षणिक/2021/1226

प्रतिलिपि : निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़।
2. लेखा शाखा, शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ को सूचनार्थ।
3. ग्रंथालय अनुभाग, शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़।
4. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
5. मास्टर फाईल।

  
प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़

9/c